

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अर्जुन सिंह

बनाम

विकास

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 253/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5.6.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अर्जुन सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>उदमसिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>बुआपनगर उदमपुर</u> तहसील व जिला <u>चित्तौड़गढ़</u> ने ग्राम <u>बोजुन्दा</u> <u>प्र.स. सदनवा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>246, 247, 248</u> <u>250, 334, 335</u> <u>0.04, 0.04, 0.10</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>0.96</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बोजुन्दा (सदनवा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>246, 247, 248, 250, 334, 335</u> <u>0.04, 0.04, 0.10, 0.06, 0.58, 0.14</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>0.96</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1,000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीजू देबल) सहायक न्यायाधीश एल उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>